वित्तीय स्वीकृति

संख्या:01/2024/ 354 /52-2-2024

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2024

विषय वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 4932/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24 दिनांक 18.01.2024 एवं पत्रांक 5249/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24 दिनांक 07.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 1,00,90,000/-(रुपये एक करोड़ नब्बे हजार मात्र) का उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अंश 40 प्रतिशत का 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रुप में उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के लिए रु0 10,09,000/- (रुपये दस लाख नौ हजार मात्र) आवंटित् किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. उक्त धनराशि का हस्तान्तरण उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को कर दिया जायेगा।
2. कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का केवल शासन द्वारा अनुमोदित कार्यों/प्रयोजनों के लिये ही व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि पुराने दायित्वों व किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी।
4. धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित प्रगति आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वित्त(आय-वययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2250- अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-05- उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों को अनावर्तक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाले जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-वययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 के प्रस्तर-2(6) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1/2024/ 354(1)/ 52-2-2024-01(बजट)/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
3. वित्त/लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त् (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7. नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।